

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/171/डी/ए/91/2012-13/220

भोपाल, दिनांक 22/02/2013

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
3. समस्त आयुक्त नगर निगम,
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
6. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास विभाग,
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, मध्यप्रदेश।


विषय:- संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के रिक्त पदों पर नियोजन की कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भ:- म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 292/250/2013/20-1, दिनांक 18.02.2013

—0—

संदर्भित पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-02-चेक लिस्ट/पावती के सरल क्रमांक 03 "प्रशिक्षण योग्यता का विवरण- 2011 की स्थिति में" उल्लेखित किया गया है। इसके स्थान पर "प्रशिक्षण योग्यता का विवरण" पढा जाये। संशोधित परिशिष्ट-02 संलग्न प्रेषित है।


संलग्न-संशोधित परिशिष्ट-02


(राजेश जैन)
संचालक

पृष्ठां. क्रमांक/171/डी/ए/91/2012-13/221
प्रतिलिपि-

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 22/02/2013

प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।


संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के नियोजन के लिए प्रमाण पत्र, अभिलेखों का परीक्षण

चेक लिस्ट/पावती
(दो प्रतियों में तैयार किया जाए)

क्र.	विवरण	अभ्यर्थी द्वारा पूर्ति की जाए			
1	पात्रता परीक्षा का रोल नंबर				
2	मोबाइल नं.				
3	प्रशिक्षण योग्यता का विवरण-				
	प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी.एड./विनियम 2002 के अनुसार डी.एड./बी.एल.एड./विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा)	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष		
4	उ.मा.वि. प्रमाण पत्र का विवरण				
	बोर्ड का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	

5	जन्मतिथि (कक्षा 10वीं की अंकसूची के आधार पर) प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं	
6	संवर्ग- अनु.जाति/जनजाति/अन्य. पिछड़ा वर्ग की स्थिति में स्थाई जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न है अथवा नहीं	
7	क्या संवर्ग के मान से आवेदक की आयु विहित आयु सीमा के अंदर है अथवा नहीं?	
8	आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की स्थिति में प्रमाण पत्र में मूल निवासी म.प्र. का लिखा होना अनिवार्य है अन्यथा उसे म.प्र. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शेष अन्य अभ्यर्थी के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।	
9	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में- प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं	
10	निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं? निःशक्त होने की स्थिति में- अस्थि बाधित/दृष्टि बाधित (दृष्टि बाधित में केवल लोविजन मान्य होगा ब्लाइंड नहीं)	

टीप:- केवल जन्मतिथि, जाति, निःशक्तता तथा शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता में सुधार मूल प्रमाण पत्र के परीक्षण उपरांत किया जा सकेगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक एवं पूरा पता

परीक्षणकर्ता अधिकारी
नाम, पदनाम, संस्था का नाम

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
नाम, पदनाम, संस्था का नाम